प्रेस.विज्ञप्ति **दिनांक 05.08.2026**

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम की कार्रवाईए 2600 रुपये जुर्माना वसूला

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 05 अगस्त 2026 को जोन क्रमांक.01 के वार्ड क्रमांक.03 अंतर्गत मॉडल टाउन क्षेत्र के विनोबा नगर के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोगए अनुज्ञप्ति लाइसेंस का अभावए डस्टबिन की व्यवस्था नहीं होने तथा साफ.सफाई का अभाव पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संतोष किराना स्टोर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 700 रुपयेए वर्मा किराना स्टोर पर 700 रुपये सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए तथा 100 रुपये डस्टबिन नहीं रखने परए मंटू प्रसाद कानू पर 500 रुपये सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर, मंटू प्रसाद कानू आनंद पान पैलेस पर 100 रुपये साफ.सफाई नहीं रखने पर तथा चाय चस्का प्रतिष्ठान पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल 2600 रुपये की चालानी राशि वसूल की गई। निगम प्रशासन ने प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करनेए प्रतिष्ठान के आसपास स्वच्छता बनाए रखनेए डस्टबिन की व्यवस्था रखने तथा आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए।

संलग्न.फोटो

जनसम्पर्क अधिकारी